ACM आमेर (जि. जयपुर)

फर्द अहकाम

नाथराम बनाम रामकिशन

नाम न्यायालय ACM

केस संख्या 205/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	5/12/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एण्ड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/12/25 को पेश हो।
	17/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। प० क० उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 23/12/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। प.क. उप.। वादीगण को ख.नं. 390 रकबा 3.46 हे. ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा में से 0.6733 हैक्टेयर हिस्सा 6733/34600 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी 1, 2/1 ता 2/3, 5 ता 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शामिल ... दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 205/2016 वाद प्रस्तुति दिनांक –20.07.2016

1. नानूराम पुत्र श्री गोविन्दराम (मृतक दौराने दावा)
1/1 गोमा देवी पत्नी स्व. श्री नानूराम सैनी
1/2 श्रवण लाल सैनी पुत्र स्व. श्री नानूराम सैनी
1/3 लक्ष्मण सैनी पुत्र स्व. श्री नानूराम सैनी
1/4 धर्मेन्द्र कुमार सैनी पुत्र स्व. श्री नानूराम सैनी समस्त निवासीयान नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर। हाल निवासी– सी–83, ग्रीनपार्क प्रथम, बैनाड रोड, दादी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर।
1/5 गुड्डी सैनी पुत्री स्व. श्री नानूराम सैनी पत्नी श्री राजेश कुमार सैनी, निवासी नाडी की ढाणी, प्रेम नगर, भुरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/6 शारदा सैनी पुत्री स्व. श्री नानूराम सैनी पत्नी श्री रिषी सैनी, निवासी पलक पैराडाईज रोड, खिरनी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर।
2. श्यामलाल पुत्र श्री गोविन्दराम जातियान माली, निवासी नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर

..........वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र श्री गोविन्दराम जाति माली, निवासी नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर
2. गंगाराम पुत्र मांगीलाल निवासी मुरलीपुरा, जयपुर (मृतक दौराने सुनवाई)
2/1 दामोदर सैनी पुत्र स्व. श्री गंगाराम
2/2 रामवतार सैनी पुत्र स्व. श्री गंगाराम सैनी
2/3 रूपनारायण सैनी पुत्र स्व. श्री गंगाराम सैनी निवासीयान– 84, प्रवासी नगर, मुरलीपुरा, एन. के स्कूल के पास, मुरलीपुरा, जयपुर।
3. कजोड पुत्र श्री धुडाराम माली
4. कालूराम पुत्र श्री कजोड माली, निवासीयान ग्राम हरनाथपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
5. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल
6. मीरा देवी पत्नी कैलाश चन्द
7. मुन्नी देवी पत्नी छगन लाल
8. ललिता देवी पत्नी श्री राजकुमार
9. ममता देवी पत्नी श्री संतोष कुमार जातियान माली, निवासी–जोडला, हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
10. तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील व जिला जयपुर

.......प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री सुमेर सैनी – अधिवक्ता वादीगण की ओर से
(2) श्रीमती संतोष कंवर – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

दिनांक 23.12.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित साविक भमि खसरा नबर 495 / 1 मिन जिसके हाल खसरा नबर 390 रकबा 346 हैक्टेयर की खातेदारी क्रमशः हिस्सा 1/3 वादी संख्या 1. हिस्सा 1/3 वादी के नाम राजस्व अभिलेख में अमल संख्या 2 तथा हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद थी, तदानुसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या उपरोक्त भूमि पर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त थे। प्रतिवादी संख्या ने उपरोक्त साबिक भूमि खसरा नबर 495/1 मिन, जिसके हाल खसरा नबंर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर है, में अपने हिस्से 1/3 को अपनी स्वैच्छा से तथा स्वयं के लिये कोई महत्व व उपयोग की भूमि नहीं होने के कारण, वादीगण को जरिये पजीकृत त्यागपत्र दिनांकित 06.01.92 के द्वारा त्याग कर दिया था तथा वादीगण को उपरोक्त भूमि में अपने हिस्से 1/3 का कब्जा भी संभला दिया था, उपरोक्त हक त्याग विलेख, दिनांक 06.01.92 को उपपजीयक आमेर द्वारा रजिस्टर संख्या 12, बुक नबर 1, वोल्युम नबर 13 पेज नबर 130 तथा अतिरिक्त प्रति रजिस्टर नबंर 92. पुस्तक संख्या 1, वोल्युम संख्या 23 कम संख्या 12, पेज संख्या 79 से 84 पर चस्पा कर पजींबद्ध किया था, इस प्रकार वादीगण उपरोक्त भूमि के एकमात्र काबिज काश्तकार हो गये थे। वादीगण को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रूपयों की आवश्यकता होने पर वादीगण ने उ क्त भूमि खसरा नबर 380 में हक त्याग पत्र दिनांकित 06.01.92 के माध्यम से प्राप्त हये हिस्सा 1/3 के अतिरि क्त, निहित व हिस्सा अपने सयुक्त हिस्से 2/3, (हिस्सा 2/3 में से 1/3 प्रतिवादी संख्या 2/3 प्रतिवादी संख्या 3 व 4) को जरिये पजींकृत वि क्रय विलेख दिनांक 18.12.96 को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को वि क्रत कर, कब्जा संभला दिया था, उक्त विक्रय पत्र दिनांक 18.1296 को उपपजींयक आमेर, जिला जयपुर द्वारा कम संख्या 979, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 161 के पृष्ठ संख्या 9 पर पजींबद्ध किया गया तथा अतिरि क्त प्रति पुस्तक संख्या 1. जिल्द संख्या 144, क्रम संख्या 89, पृष्ठ संख्या 195 से 200 पर चस्पा कर पजींबद्ध की गई। वादीगण द्वारा अपने सयुक्त हिस्से 2/3, (हिस्सा 2/3 में से 1/3 प्रतिवादी संख्या 2 व हिस्सा 2/3 प्रतिवादी संख्या 3 व 4) को जरिये पजींकृत विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 2 ता को विकित कर देने के पश्चात उ क्त भूमि खसरा नबर 390 में वादीगण का हक त्याग पत्र दिनांकित 06. 01.92 के माध्यम से प्राप्त हिस्सा 1/3 शेष रहा था। जिस पर वादीगण तत्समय काबिज काश्त थे। कालान्तर में वादीगण को अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ती के लिये, त्यागपत्र दिनांकित 06.01.92 के द्वारा उपरोक्त भूमि साबिक खसरा नबर 495/1 हाल खसरा नबर 390 रकबा 3. 46 हैक्टेयर में प्राप्त हिस्सा 1/3 में से भी कुछ भूमि का बेचान करना तय किया, परन्तु तत्समय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के पक्ष में किये गये हिस्से 1/3 के पजीकृत त्यागपत्र दिनांकित 06.01.92 की भूमि का नामांतरण, वादीगण के पक्ष में स्वीकृत नहीं हुआ था

सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

तथा त्यागपत्र दिनांकित 06.01.92 की भूमि के हिस्से 1/3 की खातेदारी तत्समय प्रतिवादी संख्या के नाम दर्ज होने के कारण, वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से साबिक भुमि खसरा नबर 495 / 1 हाल खसरा नबर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर के हिस्से 1/3 में से 0.48 हैक्टेयर (0.48 हैक्टेयर भूमि में से हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 2 / 3 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को) भूमि का एक वि क्रयपत्र प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में दिनांक 02.01.97 को करवाया, उपरोक्त वि क्रयपत्र उपपजीयंक आमेर, द्वारा दिनांक 02.01.97 को क्रम संख्या 4, पुस्तक संख्या 1. जिल्द संख्या 161 के पृष्ठ संख्या 64 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या1, जिल्द संख्या 146. क्रम संख्या 4, पृष्ठ संख्या 23 से 29 पर चस्पा कर पजीबद्ध किया, चूंकि उक्त विक्रयपत्र की भुमि प्रतिवादी संख्या ने वादीगण के पक्ष पजीकृत त्यागपत्र के माध्यम से त्याग दी थी, इसलिये उ क्त वि क्रयपत्र में बतौर गवाह वादीगण ने बतौर सहमती अपने अपने हस्ताक्षर व अगूठा निशानी की थी, जिससे त्यागपत्र दिनांकित 06.01.92 की भूमि में से बेचान की जा रही भूमि बाबत भविष्य में कोई विवाद वि क्रयपत्र बाबत ना हो, उपरोक्त वि क्रयपत्र अ प्रत्यक्ष रूप से वादीगण द्वारा ही प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में करवाया गया था, जिसकी प्रतिफल राशि भी वादीगण ने ही प्राप्त की थी। पजीकृत त्यागपत्र दिनांकित 06.01.92 की प्रविष्ठि राजस्व अभिलेख में नहीं होने के कारण, प्रतिवादी संख्या के मन में अब लालच व बेईमानी आ गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को जरिये त्यागपत्र दी गई भूमि की शेष भूमि को हड़पना चाहता है, जिसके चलते प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 08.03.16 को वादीगण को धमकी दी कि भुमि खसरा नबंर 390 की शेष भूमि में आज भी उसका हिस्सा है तथा वह उपरोक्त भूमि में स्वयं के नाम दर्ज हिस्से को ऊंचें दामो पर भूमाफियों को विकित कर, इसपर गैरकृषि कार्य कर, आवासीय व व्यवसायिक योजना बसायेंगा तथा भू–माफिया से वादीगण को बेदखल करवायेगा। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त धमकी के आधार पर जब वादीगण ने राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त कर जानकारी की तो यह जानकारी हुई कि वादपत्र की मद संख्या में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में निष्पादित पजकृत वि क्रय विलेख तथा वादपत्र की मद संख्या 4 में वर्णित वि क्रयपत्र के माध्यम से विकित की गई भूमि 0.48 हैक्टेयर तथा शेष रही भूमि बाबत नामांतरण संख्या 91 दिनांक 09.11.97 के आधार पर राजस्व अभिलेख में वि क्रयपत्रों की प्रविष्ठियां गलत दर्ज कर दी गई है, जिसके अनुसार भूमि खसरा नबर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर, खसरा नबर 386/969 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नबर 384/970 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 3.74 हैक्टेयर का संयुक्त रूप से नामान्तरण स्वीकृत कर, कुल खसरा नबरान के हिस्सा 76 / 374 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम हिस्सा 2/3, प्रतिवादी संख्या के नाम हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 298 / 374 दर्ज कर दी गई, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को खसरा नबर 390 की ही भूमि बेचान की गई थी। वि क्रयपत्रों की इबारतो का गहनतापूर्वक परिशीलन किये बगैर उपरोक्त इन्द्राज राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

है, जबकि विक्रयपत्र दिनांक 18. 12.96 की इबारत के अनुसार भूमि खसरा नबर 390 के हिस्सा 2/3 तथा वि क्रयपत्र दिनांकित 02.01.97 की इबारत के अनुसार खसरा नबर 390 के हिस्से 1/3 में से 48 ऐयर भूमि ही प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज की जा सकती थी। भूमि खसरा नबर 386/969 एवं खसरा नबंर 384 / 970 के सदर्भ में राजस्व अभिलेख की प्रविष्ठिया गलत रूप से की गई है। जिसे तदानुसार दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के तथाकथित हिस्सा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 के नाम दर्ज है। इसलिये उन्हे प्रकरण में बतौर पक्षकार सयोंजित किया गया है। वादीगण अधिकारी है कि वह इस आशय की घोषणा की डिकी प्राप्त कर सके कि हाल भूमि खसरा नबर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर वाके ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिंस्से 1/3 का वादीगण को जरिये पजीकृत त्यागपत्र दिनांकित 06.01.92 के द्वारा किये गये हक त्याग में से, पजकृत वि क्रय विलेख दिनांकित 02.01.97 के द्वारा विकित की गई 0.48 हैक्टेयर के अतिरि क्त शेष रही भूमि 0.6733 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, तदानुसार हाल राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किया जाकर, खसरा नबंर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर में से 0. 6733 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण के नाम प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर दर्ज किये जाने तथा भूमि खसरा नबर 386 / 969 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नबर 384/970 रकबा 0.10 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या ता 9 का नाम विलोपित किया जाकर, तदानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त कर, भूमि खसरा नबर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर में वादीगण द्वारा अपने हिस्से 2/3 के पजींकृत वि क्रयपत्र दिनांकित 18. 12.96 तथा विक्रयपत्र दिनांकित 02.01.97 द्वारा विकित 0.48 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम हिस्सा 1/3. प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 (प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से बाबत) के नाम हिस्सा 2/3 की खातेदारी दर्ज की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं 5 ता 9 को इस कदर की स्था ई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द फरमायें कि वादीगण को उनके उपरोक्त हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व विघ्न ना तो स्वयं उत्पन्न करे, ना ही किसी अन्य दीगर से करवाये। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कत्य ना तो स्वय करे ना अन्य दीगर से करवावे । उपरोक्त वाद का वादकारण दिनांक 08.03.16 को वादपत्र की मद संख्या 5 में वर्णितानुसार उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है, जिसके वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमानजी के समक्ष पेश है। वादपत्र उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। वादकारण वादपत्र मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर हुआ है तथा उक्त भुमि श्रीमानजी के ओधानिक श्रेत्राधिकार में स्थित है, इसलिये वादपत्र का श्रवणाधिकार श्रीमानजी को विधि में प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 10 लोकसेवक है, जो धारक जिलाधीश महोदय के बिहाफ पर भूमि को धारित किये हुये है, जिन्हे दावा दायरी से पूर्व दो माह का मियादी नोटिस वादपत्र अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रेषित नहीं किया गया है, जिसकी उन्मुक्ति हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी का प्रार्थनापत्र पृथक से पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 भूमि के सहखातेदार है तथा वादपत्र की प्रकृति घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 को भी प्रकरण मे बतौर पक्षकार सयोंजित किया गया है। अनुतोष वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जायें ।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 08.04.2007 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 14.06.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या– 2 गंगाराम की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादपत्र की मद सं. 1 में वर्णित यह तथ्य की राजस्व ग्राम बेनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में साबिक भूमि खसरा नं. 495/1 मिन हाल खसरा नं. 390 रकबा 3.46 हेक्टेयर स्थित थी. स्वीकार है। उ क्त भूमि के हिस्से 1/3 की खातेदारी वादी सं. 1. हिस्सा 1/3 की खातेदारी वादी सं. 2. हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज थी. स्वीकार है। वादपत्र की मद सं. 2 में वर्णित यह तथ्य की साबिक भूमि खसरा नं. 495/1 मिन हाल खसरा नं. 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से 1/3 को जरिये पंजीकृत त्याग पत्र दिनांक 06.01.1992 को वादीगण को त्याग कर कब्जा वादीगण को संभला दिया था, स्वीकार है। उ क्त त्याग पत्र उप पजीयक आमेर द्वारा दिनांक 06.01.1992 को पंजीबद्ध किया जाना अभिलेख के अनुसार स्वीकार है। वादपत्र की मद सं. 3 के संदर्भ में स्पष्ट किया जाना समीचीन है कि वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निष्पादित हक त्याग पत्र दिनांक 06.01.1992 के माध्यम से उपरोक्त आराजीयात में हिस्सा 1/3 प्राप्त हुआ था। परन्तु उका आराजीयात में वादीगण का पूर्व से ही हिस्सा 2/3 भी था। उ क्त हिस्सा 2/3 में से हिस्सा 1/3 वादीगण ने प्रतिवादी सं. 2 को तथा हिस्सा 2/3 प्रतिवादी सं. 3 व 4 को जरिये पंजीकृत वि क्रय विलेख दिनांक 18.12.1996 के द्वारा वि क्रय कर दिया था तथा उ क्तानुसार ही प्रतिवादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 3. 4 को बेचे गये हिस्से अनुसार कब्जा भी संभला दिया था तथा उक्तानुसार ही प्रतिवादी सं. 2 अपनी क्रयशुदा आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त वि क्रय पत्र दिनांक 18.12.1996 को उप पंजीयक आमेर द्वारा पंजीबद्ध किया गया था। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को वि क्रय पत्र दिनांक 18.12.1996 के द्वारा वादीगण ने अपना हिस्सा 2/3 वि क्रय किया था। जिसके पश्चात वादीगण का उ क्त [illegible] त्यागपत्र दिनांक 06.01.1992 के द्वारा प्राप्त हिस्सा 1/3 शेष रहा था [illegible] काबिज काश्त चले आ रहे है। वादपत्र की मद सं. 4 में वर्णित यह तथ्य की वादीगण [illegible] प्रतिवादी सं. 1 से जरिये त्याग पत्र दिनांक 06.01.1992 के द्वारा साबिक खसरा नं. 495/1 [illegible] भूमि खसरा नं. 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर में प्राप्त हिस्सा 1/3 में से रूपयों की आवश्यकता होने के कारण कुछ भूमि बेचान करनी थी। परन्तु त्याग पत्र दिनांक 06.01.1992 के द्वारा वाचीगण को प्राप्त हिस्सा 1/3 का नामांतरण वादीगण के नाम नहीं हुआ था। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 के माध्यम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
[illegible] जयपुर

प्रतिवादी सं. 1 से प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 के पक्ष में उक्त भूमि के शेष हिस्से 1/3 में से 0.48 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 को करवाया था। उक्त विक्रय पत्र वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 से करवाया गया था। सौदे की राशि वादीगण ने प्रतिवादी सं 2 लगायत 4 से प्राप्त की थी तथा उक्त भूमि 0.48 हैक्टेयर का कब्जा भी वादीगण ने प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को संभलाया था। प्रतिवादी सं. 1 का उ क्त भूमि से कोई संबध व सरोकार नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 ने अपना हिस्सा 1/3 वादीगण को त्याग पत्र के द्वारा दे दिया था। वि क्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य भविष्य में विवाद ना हो तथा नामातरण ना खुलने को लेकर विवाद ना हो, इसीलिए विक्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 में बतौर गवाह वादीगण ही थे तथा वि क्रय पत्र पर वादीगण ने हस्ताक्षर भी किये थे। जिसका कारण यह था कि हक त्याग विलेख दिनांक 06.01.1992 के द्वारा यादीगण को प्रतिवादी सं. 1 से प्राप्त हिस्सा 1/3 भूमि का वि क्रय पत्र था। उ क्त वि क्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 को उप पंजीयक आमेर द्वारा दर्ज कर पंजीबद्ध किया गया था। उ क्त वि क्रय पत्र के माध्यम से प्रतिवादी सं. 2. ता 4 को वि क्रय की गयी 0.48 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं. 2 का तथा हिस्सा 2/3 प्रतिवादी सं. 3 व 4 का है तथा जिस पर उ क्तानुसार ही प्रतिवादी सं. 2 ता 4 काबिज काश्त है। वादीगण का शेष हिस्सा 1/3 में से प्रतिवादी सं. 2. ता 4 को वि क्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 के द्वारा वि क्रय की गयी भूमि 0.48 हैक्टेयर के अतिरि क्त शेष रही भूमि वादीगण की है। जिस पर वादीगण काबिज है। वादपत्र की मद सं. 5 के संदर्भ में स्पष्ट किया जाना समीचीन है कि उपरोक्त भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 को वादीगण द्वारा हिस्सा 1/3 में से वि क्रय की गयी भूमि 0.48 हैक्टेयर के पश्चात शेष रही भूमि का नामांतरण खोले जाते समय त्रुटीवश नामांतरण खोल दिया गया। जिसका नामांतरण सं. 91. है। जिसके राजस्व अभिलेख की दुरूस्ती किये जाने में प्रतिवादी सं. 2 को कोई आपत्ति नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वाद संपति के किसी भी अंश अथवा हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वाद संपति पर अपने अपने हिस्से अनुसार वादीगण, प्रतिवादी सं. 2. प्रतिवादी सं. 5 ता 9 काबिज काश्त है। तदानुसार वाद वादीगण निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान फरमावे।

पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावा, प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा निम्नानुसार तनकीयात् कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:55 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वाके ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा के खसरा नं. 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर में रामकिशन द्वारा अपने हिस्से 1/3 का वादीगण के हक में निष्पादित त्याग पत्र दिनांक 06.01.1992 के द्वारा किये गये हक त्याग में से पंजीकृत वि क्रय विलेख दिनांक 02.01.1997 के द्वारा वि क्रय की गई 0.48 हैक्टेयर के अतिरि क्त शेष रही भूमि 0.6733 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें?

.........वादी

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

2. आया खसरा नम्बर 390 रकबा 346 हैक्टेयर में से 0.6733 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण के नाम प्रतिवादी संख्या–1 रामकिशन का नाम विलोपित कर दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 386/969 रकबा 0.18 हैक्टेयर खसरा नम्बर 334/970 रकबा 0.10 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या–2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 का नाम विलोपित किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर में वादीगण द्वारा अपने हिस्से 2/3 के पंजीकृत वि क्रय पत्र दिनांक 18.12.1996 तथा वि क्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 द्वारा वि क्रय 0.48 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी–2 के नाम हिस्सा 1/3 प्रतिवादी 5 लगायत 9 (प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से बाबत) के नाम हिस्सा 2/3 की खातेदारी दर्ज की जावें?

.........वादी

3. आया प्रतिवादीगण 1, 2, 5 ता. 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे?

.........वादी

4. आया प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को वादीगण द्वारा हिस्सा 1/3 में से विक्रय की गई भूमि 0.48 हैक्टेयर के पश्चात शेष रहा भूमि का नामान्तरकरण खोलते समय त्रुटीवश नामान्तरकरण संख्या 91 खोल दिया गया।

.....प्रतिवादी 2

5. आया विवादित आराजी के किसी अंश अथवा हिस्से पर प्रतिवादी–1 का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं?

........प्रतिवादी 2

6. अनुतोष

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 श्यामलाल पुत्र गोंविद श्री गोंविदराम जाति माली, निवासी नांगल जैसा बोहरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
2. PW2 धमेंद्र कुमार सैनी पुत्र श्री नानूराम सैनी, निवासी नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर, हाल निवासी प्लॉट नंबर सी–83, ग्रीन पार्क प्रथम, बैनाड रोड, दादी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान।
3. PW3 लक्ष्मण सैनी पुत्र श्री नानूराम सैनी निवासी नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर, हाल निवासी प्लॉट नंबर सी–83, ग्रीन पार्क प्रथम, बैनाड रोड, दादी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 प्रति नामान्तरण संख्या 25 भूमि खसरा नबर 390 बैनाडमय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, प्रदर्श–2 प्रति त्यागपत्र दिनांकित 06.01.92. प्रदर्श–3 सत्यप्रति पजीकत वि क्रयपत्र दिनांकित 18. 12.96, प्रदर्श 4 सत्यप्रति नामांतकरण संख्या 25, प्रदर्श 5 प्रति नामान्तरण संख्या 91, प्रदर्श 6 मूल हक त्याग/रिलीज डीड प्रस्तुत किये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की लिखित बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

सहायक कलक्टर
आमेर मु. फागुर

तनकी संख्या 1:– आया वाके ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा के खसरा नम्बर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर में रामकिशन द्वारा अपने हिस्से 1/3 का वादीगण को जरिये पंजीकृत त्याग पत्र दिनांक 06.01.1992 के द्वारा किये गये हक त्याग में से पंजीकृत वि क्रय विलेख दिनांक 02.01.1997 के द्वारा वि क्रय की गई 0.48 हैक्टेयर के अतिरि क्त शेष रही भूमि 0.6733 हेक्टेयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें?

.........वादी

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी का था। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से वादीगण के स्वामित्व, प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकार त्याग और राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों का गहन विश्लेषण किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत निष्कर्ष निम्न प्रकार है:

1. **पंजीकृत हकत्याग पत्र (Ex- P-2 and P-6) की विधिक मान्यता :–** वाद के निस्तारण का मुख्य आधार प्रतिवादी संख्या 1, रामकिशन द्वारा निष्पादित हकत्याग पत्र (Relinquishment Deed) है । पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 06–01–1992 को उप–पंजीयक कार्यालय आमेर में उपस्थित होकर अपने हिस्से की 1/3 भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया था ।

स्वेच्छा और कब्जा: साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने यह त्याग अपनी स्वेच्छा से किया था क्योंकि उस समय उसने इस भूमि को अपने लिए अनुपयोगी माना था । इस हकत्याग के साथ ही उसने भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा (Physical Possession) भी वादीगण को संभला दिया था । **पंजीकरण का प्रभाव:** भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत यह दस्तावेज पंजीकृत है (बुक नंबर 1, वॉल्यूम 13, पेज 130), जो इसे एक सशक्त विधिक दस्तावेज बनाता है । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस दस्तावेज को कभी भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, जिससे इसकी सत्यता स्वत: सिद्ध होती है ।

2. **प्रतिवादी संख्या 2 का स्वीकारोक्ति पूर्ण जवाब (Admission of Fact) :–** न्यायशास्त्र का सिद्धांत है कि "जो तथ्य स्वीकार कर लिए गए हैं, उन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती" (Facts admitted need not be proved)। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 (गंगा राम के वारिसान) ने अपने जवाब दावे में वादी के पक्ष का पूर्ण समर्थन किया है ।

स्वीकारोक्ति: प्रतिवादी संख्या 2 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना 1/3 हिस्सा दिनांक 06–01–1992 को त्याग दिया था ।

अधिकारहीनता: उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान में विवादित भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई कब्जा या काश्त नहीं है । यह स्वीकारोक्ति ने वादी के केस को अत्यंत सुदृढ़ बना दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

3. **राजस्व रिकॉर्ड (नामांतरण संख्या 91) में लिपिकीय त्रुटि का विश्लेषण:–** वादीगण का मुख्य विवाद राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलत प्रविष्टि को लेकर है । पत्रावली के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नामांतरण संख्या 91 (दिनांक 09–11–1997) को भरते समय राजस्व अधिकारियों

सहायक कलक्टर आमेर

ने पंजीकृत विक्रय पत्रों की इबारत और हकत्याग पत्र की प्रविष्टियों का गहराई से अध्ययन नहीं किया ।

त्रुटि का स्वरूप: वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को जो भूमि बेची थी, उसका नामांतरण खोलते समय प्रतिवादी संख्या 1 का नाम रिकॉर्ड से विलोपित (Delete) किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह पहले ही हकत्याग कर चुका था । **गणितीय भूल:** रिकॉर्ड में खसरा नंबर 390 के साथ–साथ अन्य खसरा नंबरों (386/969 और 384/970) का मिश्रण कर दिया गया, जिससे वादी का बचा हुआ 0.6733 हेक्टेयर हिस्सा भी रिकॉर्ड में अस्पष्ट हो गया । न्यायालय का यह निश्चित मत है कि यह केवल एक 'लिपिकीय भूल' ... है, जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है

4. **विक्रय पत्रों (Ex- P-3 and P-4) की स्थिति और वादी की सहमति :–** न्यायालय ने पाया कि वादीगण ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए दिनांक 18–12–1996 और 02–01–1997 को जो विक्रय पत्र निष्पादित किए थे, उनमें वादीगण स्वयं गवाह और सहमत पक्षकार के रूप में उपस्थित थे, प्रतिफल (Consideration): 02–01–1997 के विक्रय पत्र में, हालांकि रिकॉर्ड में नाम प्रतिवादी संख्या 1 का था, लेकिन साक्ष्यों से सिद्ध हुआ है कि विक्रय राशि (Consideration Money) वास्तव में वादीगण ने ही प्राप्त की थी । प्रतिवादी संख्या 1 केवल नाममात्र का खातेदार रिकॉर्ड में होने के कारण हस्ताक्षरकर्ता बना था । यह आचरण दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 का भूमि में कोई वास्तविक आर्थिक हित शेष नहीं था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त हक त्याग विलेख दिनांक 06.01.1992 को आक्षेपित किया गया हो अथवा चुनौतीग्रस्त किया गया हो अथवा उक्त हक त्याग विलेख प्रभाव में नही हो, ऐसे कोई कथन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जाहिर नही किये गये है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की सम्यक तामील होने पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता सुनवाई के प्रक्रम पर उपस्थित आये थे, परन्तु पश्चातवर्ती प्रक्रम पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये थे। उपरोक्त समग्र साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि पंजीकृत त्याग पत्र दिनांक 06.01.1992 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन ने साबिक भूमि खसरा नंबर 495/1, हाल खसरा नंबर 390 में अपना संपूर्ण हिस्सा 1/3 वादीगण को त्याग कर दिया था तथा त्याग पत्र दिनांक 06.01. 1992 के निष्पादित होने के पश्चात [illegible] का उपरोक्त आराजीयात हाल खसरा नंबर 390 में कोई हक हिस्सा नही रहा । [illegible] सूरत में वादीगण की ओर से अभिलेख पर आयी मौखिक व दस्तावेजी [illegible] तनकी [illegible] 1 वादीगण स्वंय के पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। उपरो[illegible] वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunjan Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जायेद म. [illegible]

तनकी संख्या 2 :–आया खसरा नम्बर 390 रकबा 346 हैक्टेयर में से 0.6733 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण के नाम प्रतिवादी संख्या–1 रामकिशन का नाम विलोपित कर दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 386/969 रकबा 0.18 हैक्टेयर खसरा नम्बर 334/970 रकबा 0.10

हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या–2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 का नाम विलोपित किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर में वादीगण द्वारा अपने हिस्से 2/3 के पंजीकृत वि क्रय पत्र दिनांक 18.12.1996 तथा वि क्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 द्वारा वि क्रय 0.48 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी–2 के नाम हिस्सा 1/3 प्रतिवादी 5 लगायत 9 (प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से बाबत) के नाम हिस्सा 2/3 की खातेदारी दर्ज की जावें?

.........वादी

यह कि तनकी संख्या 2 इस आशय की विरचित की गई है कि खसरा नंबर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर में से 0.6733 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा खसरा नंबर 386/969 एवं खसरा नंबर 384/970 के राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 का नाम विलोपित किया जाकर, खसरा नंबर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर में वादीगण द्वारा अपने हिस्से 2/3 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.12.1996 व विक्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 द्वारा विक्रय 0.48 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम हिस्सा 1⁄3, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 के नाम हिस्सा 2/3 की खातेदारी दर्ज की जावे।

उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श 1 विक्रय पत्र दिनांक 18.12.1996 तथा प्रदर्श 2 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 दौराने साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये है जिनके अवलोकन से यह जाहिर है कि उक्त विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रेतागण क्रमशः कजोड, कालुराम, गंगाराम को खसरा नंबर 390 की भूमि का ही बेचान किया गया है। शेष भूमि खसरा नंबर 386/969, 384/970 का बेचान नही किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन द्वारा पंजीकृत हक त्याग दिनांक 06.01.1992 के द्वारा खसरा नंबर 390 में से अपना हिस्सा 1/3 वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है। वादीगण की उपरोक्त साक्ष्य का प्रतिवादी की ओर से कोई खण्डन नही किया गया है, अपितु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीगण के उक्त अभिवचनों की स्वीकारोक्ति की गई है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 2 को भी वादीगण अपने साक्ष्य से साबित करने में सफल रहे है। उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया प्रतिवादीगण 1, 2, 5 ता. 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे?

.........वादी

तनकी संख्या 3 वादीगण के अनुतोष से सबंधित है। तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई तथा तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन से राजस्व अभिलेख की त्रुटी जाहिर है एवं वादीगण द्वारा स्वयं का मामला साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य का प्रतिवादीगण की ओर से कोई खण्डन नही है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 3 भी वादीगण स्वयं के पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 4 :– आया प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को वादीगण द्वारा हिस्सा 1/3 में से विक्रय की गई भूमि 0.48 हैक्टेयर के पश्चात शेष रहा भूमि का नामान्तरकरण खोलते समय त्रुटीवश नामान्तरकरण संख्या 91 खोल दिया गया।

.....प्रतिवादी 2

तनकी संख्या 4 इस आशय की विरचित की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को वादीगण द्वारा हिस्सा 1/3 में से विक्रय की गई भूमि 0.48 हैक्टेयर के पश्चात शेष रही भूमि का नामांतरण खोलते समय त्रुटीवश नामांतरण संख्या 91 खोल दिया गया। उपरोक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दावे के आधार पर विरचित की गई है, जिसे साबित करने का भार भी प्रतिवादी संख्या 2 पर है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर उक्त संदर्भ में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नही की गई है, परन्तु अभिलेख पर मौजूद दावा की मद संख्या 4 व 5 में वादीगण के वादपत्र के अभिवचनों को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकृत किया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 18.12.1996 प्रदर्श 1 तथा विक्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 प्रदर्श 2 का प्रतिवादी संख्या 2 क्रेता है। ऐसी सूरत में जहां उक्त विक्रय पत्रों की प्रतियां अभिलेख पर है जिनसे क्रेतागण द्वारा खसरा नंबर 390 में से ही भूमि क्रय किया जाना परिलक्षित हो रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब दावे में भी इस तथ्य को स्वीकृत किया गया है कि हक त्याग दिनांक 02.01.1997 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हिस्सा संपूर्ण खसरा नंबर 390 में से वादीगण को हक त्याग के माध्यम से प्रदत्त कर दिया था तथा उक्त खसरा नंबर 390 में वादीगण को प्राप्त हिस्से 1/3 की भूमि में से ही 0.48 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 02.01.1997 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के माध्यम से क्रेतागण के पक्ष में निष्पादित करवाया गया था तथा तत्पश्चात भरे गये नामांतरण संख्या 91 में 0.48 हैक्टेयर भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब दावे में की गई स्वीकारोक्ति के मददेनजर तनकी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 2 साबित करने में सफल रहा है। उपरोक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया विवादित आराजी के किसी अंश अथवा हिस्से पर प्रतिवादी–1 का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं?

........प्रतिवादी 2

तनकी संख्या 5 इस आशय की विरचित की गई है कि विवादित आराजी के किसी भी अंश अथवा हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नही है। उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर है। यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा है, ना ही जवाबदेही अथवा साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। वादीगण द्वारा भी वादपत्र में वाद सपंति पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा नही होना कथन किया गया है। जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकृत किया गया है। ऐसी सूरत में अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादीसंख्या 1 का वाद सपंति पर कोई कब्जा नही है, ना ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

उपस्थित आकर वादीगण के अभिवचनों व साक्ष्य का खण्डन किया गया है। अभिलेख पर मौजूद समग्र मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभिवचनों से तनकी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं के पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निर्णय

समस्त तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के सम्मिलित परिशीलन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि: प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हकत्याग किए जाने के बाद, वादीगण खसरा नंबर 390 के संपूर्ण हिस्से के स्वामी हो गए थे। उनके द्वारा बेची गई 0.48 हेक्टेयर भूमि के पश्चात, शेष 0.6733 हेक्टेयर भूमि पर उनका अविवादित हक और कब्जा बना हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी एवं नामांतरण) में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बना रहना विधिक रूप से गलत है और यह वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । अतः, यह न्यायालय वादीगण को खसरा नंबर 390 (रकबा 3.46 हेक्टेयर) में से 0.6733 हेक्टेयर भूमि का 'खातेदार काश्तकार' घोषित करना न्यायोचित और विधिपूर्ण पाता है । अत: भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर, ग्राम बेनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में से 0.6733 हैक्टेयर, हिस्सा 6733/34600 हिस्सा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है तथा तदानुसार खसरा नंबर 390 के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने की भी डिक्री पारित की जाती है। खसरा नंबर 390 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी को विलोपित किया जाता है। खसरा नंबर 386/969 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384/970 रकबा 0.10 हैक्टेयर ग्राम बेनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 1, 2/1 लगायत 2/3, 5 लगायत 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 205/2016 वाद प्रस्तुति दिनांक –20.07.2016

1. नानूराम पुत्र श्री गोविन्दराम (मृतक दौराने दावा)
1/1 गोमा देवी पत्नी स्व. श्री नानूराम सैनी
1/2 श्रवण लाल सैनी पुत्र स्व. श्री नानूराम सैनी
1/3 लक्ष्मण सैनी पुत्र स्व. श्री नानूराम सैनी
1/4 धर्मेन्द्र कुमार सैनी पुत्र स्व. श्री नानूराम सैनी समस्त निवासीयान नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर। हाल निवासी– सी–83, ग्रीनपार्क प्रथम, बैनाड रोड, दादी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर।
1/5 गुड्डी सैनी पुत्री स्व. श्री नानूराम सैनी पत्नी श्री राजेश कुमार सैनी, निवासी नाडी की ढाणी, प्रेम नगर, भुरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/6 शारदा सैनी पुत्री स्व. श्री नानूराम सैनी पत्नी श्री रिषी सैनी, निवासी पलक पैराडाईज रोड, खिरनी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर।
2. श्यामलाल पुत्र श्री गोविन्दराम जातियान माली, निवासी नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर

..........वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र श्री गोविन्दराम जाति माली, निवासी नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर
2. गंगाराम पुत्र मांगीलाल निवासी मुरलीपुरा, जयपुर (मृतक दौराने सुनवाई)
2/1 दामोदर सैनी पुत्र स्व. श्री गंगाराम
2/2 रामवतार सैनी पुत्र स्व. श्री गंगाराम सैनी
2/3 रूपनारायण सैनी पुत्र स्व. श्री गंगाराम सैनी निवासीयान– 84, प्रवासी नगर, मुरलीपुरा, एन. के स्कूल के पास, मुरलीपुरा, जयपुर।
3. कजोड पुत्र श्री धुडाराम माली
4. कालूराम पुत्र श्री कजोड माली, निवासीयान ग्राम हरनाथपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
5. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल
6. मीरा देवी पत्नी कैलाश चन्द
7. मुन्नी देवी पत्नी छगन लाल
8. ललिता देवी पत्नी श्री राजकुमार
9. ममता देवी पत्नी श्री संतोष कुमार जातियान माली, निवासी–जोडला, हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
10. तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला जयपुर

.......प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 23.12.2025

वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:– भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 3.46 हैक्टेयर, ग्राम बेनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में से 0.6733 हैक्टेयर, हिस्सा 6733/34600 हिस्सा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है तथा तदानुसार खसरा नंबर 390 के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने की भी डिक्री पारित की जाती है।

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 205/2016
बउनवानी – नानूराम बनाम रामकिशन वगै0
निर्णय दिनांक :– 23.12.2025

खसरा नंबर 390 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी को विलोपित किया जाता है। खसरा नंबर 386/969 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384/970 रकबा 0.10 हैक्टेयर ग्राम बेनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 1, 2/1 लगायत 2/3, 5 लगायत 9 को इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द फरमावे कि वे वादीगण को उनके उपरोक्त हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व विघ्न ना तो स्वयं उत्पन्न करें, ना ही किसी अन्य दीगर से करवावे। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.12.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ----
ओहदा ----

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:35 IST
Reason: SelfAttested